



F-07-08
F-07-11

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1779 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1779

विषय / Sub : फॉर्मेशन लाईट, बी ई एल पार्ट सं. 1710 003 837 38

Formation Light, BEL Part No.: 1710 003 837 38

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, (एक भारत सरकार उद्यम), रक्षा मंत्रालय, प्लॉट सं. 405, फेज़- III, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला - 134 113, हरियाणा द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित, एलसीए (तेजस) [एयर फोर्स एवं नेवेल वर्जन] में उपयुक्त "फॉर्मेशन लाईट" बीईएल पार्ट सं.: 1710 003 837 38 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1779, दिनांक 23 अगस्त 2013, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1779 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

This is to state that the "Formation Light", bearing BEL Part No.: 1710 003 837 38, used on LCA (Tejas) [Air Force & Naval Version] designed, developed and manufactured by M/s Bharat Electronics Limited (A Government of India Enterprise), Ministry of Defence, Plot No.: 405, Phase - III, Industrial Area, Panchkula - 134 113, Haryana as issued with Type Approval No.: 1779 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1779, dated: 23rd August 2013 with its validity up to 30th June 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जुलाई 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (चंडीगढ़), सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा सं. 3 बीआरडी, वायु सेना, चंडीगढ़ - 160 003, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st August 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st July 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Chd), CEMILAC, DRDO, C/o No. 3 BRD, Air Force, Chandigarh – 160 003, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1779, दिनांक 23 अगस्त 2013 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (04) चार में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para (04) four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1779, dated: 23rd August 2013 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: / सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA -1779/1R

दिनांक / Date : 31 August 2018

फैक्ससं. / Fax No.: 080 – 2523 0856

SR.



पी. जयपाल / P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)